जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ा क्षेत्र का मुद्दा भी उठेगा

जीएसटी की दरों पर हो सकता है बड़ा फैसला

बैठक आज

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में शुक्रवार को जीएसटी परिषद की अहम बैठक होगी। इसमें जीएसटी की दरें घटाने पर भी फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि जीएसटी की 12 और 18 फीसदी की दरों का विलय कर एक दर बनाई जा सकती है। काफी समय से दोनों टैक्स स्लैब को एक करने की मांग उठ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुरुवार को हुई बजट-पूर्व बैठक में राज्यों ने जीएसटी को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की और सुझाव भी दिए।

मंत्री समूह ने भी की है सिफारिशः गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री समूह ने भी जीएसटी दरें घटाने को लेकर अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपी है। इसमें टैक्स स्लैब को मिलाने के साथ बिना जीएसटी वाले कुछ उत्पादों को कर के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा फिटमेंट कमेटी, जिसमें राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल हैं, ने भी स्लैब और दरों में बदलाव की सिफारिशें की हैं।

नई दिल्ली में गुरुवार को विज्ञान भवन में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण। • प्रेट्र

कपड़ा सेक्टर पर जीएसटी दर बढ़ाने का विरोध : बैठक में कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाने का मुद्दा छाया रह सकता है। दरअसल, एक जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और जूतों पर पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी जीएसटी लगने जा रहा है। राज्य सरकारों से लेकर इन क्षेत्रों स जुड़े उद्योग और कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला टल सकता है। परिषद की 17 सितंबर को बैठक में जीएसडी दर संशोधित करने का फैसला लिया गया था।

क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गुरुवार को बजट पूर्व बैठक में राज्यों ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत राजस्व की क्षति पूर्ति की व्यवस्था पांच साल के लिए बढ़ाने की मांग की। जीएसटी प्रणाली लागू होने पर राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जून 2022 तक क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई है।